भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 247
गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला रोजगार

247. श्री के.आर. सुरेश रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2004 एवं 2017 के बीच अर्थात् उस अवधि में जब कुल ग्रामीण महिला श्रम बल प्रतिभागिता दर (एलएफपीआर) में कमी दर्ज हुई ग्रामीण क्षेत्रों में घर से बाहर महिला रोजगार एक-सा रहा और शहरी क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज हुई; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, एनएसएस के विभिन्न दौरों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार है:

एनएसएस द्वारा सर्वेक्षण	एलएफपीआर	
	ग्रामीण	शहरी
2009-10	37.8	19.4
2004-05	49.4	24.4

बाद में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण किया गया। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार थी:

श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण	एलएफपीआर	
	ग्रामीण	शहरी
2016-17	29.5	20.1
2015-16	31.7	16.6
2013-14	36.4	19.7
2012-13	29.9	17.8
2011-12	33.9	19.1

(ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 29.01.2022 तक 1.26 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 46.89 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, 28.01.2022 तक 28.95 लाख लाभार्थियों को 2946.68 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 21.01.2022 तक 32.12 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****